न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
209/2022	प्रा0पत्र 88RTA	01.12.2022	08.02.2023

1. निराना राम उर्फ नारायण राम पुत्र मूलाराम, जाति–जाट, निवासी वार्ड सं. 01, गिनड़ी पट्टा लोहसना, तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरू जिला चूरू

–मुख्य अप्रार्थी–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आ.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री विनोद कुमार सोनी
2. पैरोकार राज अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित

आदेश

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि

वादी की खातेदारी की एक कृषि भूमि ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना पटवार हल्का सहजूस, भू.अभि.नि. क्षेत्र झारिया, तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज हैं जमाबंदी सम्वत् 2070–2073, खाता संख्या नया 62,खाता संख्या पुराना 56, के अनुसार खसरा नम्बर 503/294, तादादी–2.6558 हैक्टेयर, एवं खसरा न. 536/51 तादादी 1.6441 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 544/68 तादादी 0.4552 हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल तादादी 4.7551 हैक्टेयर जिसमें वादी का सम्पूर्ण हिस्सा हैं, बारानी की खातेदारी रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज हैं के नाम से हैं एवं स्वम् खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम गिनड़ी पट्टा पट्टा लोहसना, पटवार हल्का सहजूसर, भू.अभि.नि. क्षेत्र झारिया तहसील व जिला चूरू के नाम से रेवेन्यु रिकॉर्ड में दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2070–2073, खाता संख्या नया 62,खाता संख्या पुराना 56, के अनुसार खसरा नम्बर 503/294, तादादी–2.6558 हैक्टेयर, एवं खसरा न. 536/51 तादादी 1.6441 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 544/68 तादादी 0.4552 हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल तादादी 4.7551 हैक्टेयर जिसमें वादी का सम्पूर्ण हिस्सा हैं– उपर्युक्त कृषि भूमि वादी के कब्जा एवं अधिकार में है जिन पर वह स्वम् ही काश्त करता है।

वादी जिसको घरेलू नाम नारायणराम के नाम से पुकारा जाता है– वादी का घरेलू नाम नारायण राम पुत्र मूलाराम जमाबंदी में रिकॉर्ड पर आ गया है तथा कृषि भूमि अनुसार खसरा नम्बर 503/294, तादादी–2.6558 हैक्टेयर, एवं खसरा न. 536/51 तादादी 1.6441 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर544/68 तादादी 0.4552 हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल तादादी 4.7551 हैक्टेयर वादी स्वम् की भूमि है, जिसमें वादी का घरेलू नाम नारायणराम दर्ज हो रखा है। जबकि वादी के [illegible] परिवार राशन काड, आयकर विभाग स्थायी लेखा कार्ड आदि में निराना [illegible]राम, निवासी वार्ड सं. 01, गिनड़ी पट्टा लोहसना, जिला चूरू [illegible] घरेलू नाम नारयण राम पुत्र मूलाराम के नाम से वादगत उपर्युक्त खसरा की [illegible] 503/294 खसरा नम्बर 536/51 एवं खसरा नम्बर 544/68 रेवेन्यु रिकॉर्ड में [illegible] दर्ज सुदा है।

रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादी का नाम [illegible]यण राम पुत्र मूलाराम [illegible] दर्ज कर दिया गया– परन्तु वास्तविकता यह हैं कि निरानाराम उर्फ नारायण राम एक ही व्यक्ति–

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested

पुरूष हैं दो अलग–अलग नहीं है। चूंकि वादी निराणाराम उर्फ नारायण राम अपनी कृषि भूमियों पर माननीय सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेना चाहता है जो खातेदारी में नारायणराम गलत नाम दर्ज होने की वजह से प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जिस वजह से वह उक्त योजनाओं का लाभ लेने से वंचित है तथा निरानाराम उर्फ नारायणराम को भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आये इस कारण वादी रेवेन्यु रिकॉर्ड में अपना नाम निराना राम पुत्र मूलाराम करवाना चाहता है।– जिस हेतु यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने तहसीलदार महोदय, चूरू व पटवारी हल्का सिरसला से सम्पर्क किया तथा निराणाराम के स्थान पर निरानाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट, निवासी– गिनड़ी पट्टा लोहसना, तहसील व जिला चूरू लिखने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने माननीय सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर रेवेन्यु रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती हेतु उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने का दिनांक 28.11.2022 को जुबानी कहा।

इस दावे का हेतु उपरोक्त मद में लिखे कारण हैं तथा खातेदारी में गलत नाम अंकन होने से यह नाम दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत करने के लिए वादी को वादकारण व वादहेतुत प्राप्त हैं।

वादी गांव गिनड़ी पट्टा लोहसना, तहसील व जिला चूरू का स्थायी निवासी हैं तथा आधार कार्ड में, परिवार राशनकार्ड, आयकर विभाग–स्थायी लेखा संख्या कार्ड में वादी का नाम निरानाराम पुत्र मूलाराम दर्ज हैं– अतः यह नाम दुरूस्ती रिकॉर्ड का दावा माननीय न्यायालय में निर्धारित शुल्क पर अंदर मियाद है तथा काबिल समालात अदालतवाला है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर प्रार्थना वादी है कि दावे हाजा की डिक्री बहक वादी निचे लिखे अनुवार जारी फरमायी जावें:–

कः– रेवेन्यु रिकॉर्ड, जमाबंदी आदि में खातेदार नारायणराम पुत्र मूलाराम, जाति–जाट निवासी गिनड़ी पट्टा लोहसना के नाम के स्थान पर निरानाराम पुत्र मूलाराम, जाति जाट, निवासी– गिनड़ी पट्टा लोहसला दर्ज किये जाने का आदेश व डिक्री जारी की जावें तथा तहसीलदार चूरू को इस हेतु निर्देश दिये जावें कि वे रेवेन्यु रिकॉर्ड में उपरोक्त लिखे अनुसार नाम दुरूस्ती करें।

खः– अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो वादी के हक का हो/ भविष्य में हो जावें प्रदान किया जावें।

वादी की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित व प्रकरण नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई प्रतिवादी संख्या 01 जवाब न दिया जाकर जांच रिपोर्ट पेश कि। जिस पर अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वह साक्ष्य नहीं पेश करना चाहता मूद दावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को ही साक्ष्य माना जाकर बहस सुनी जाये जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी ग्रई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी जाकर पत्रावली तथा पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

बहस में अ[illegible] उक्त प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम घरेलू नाम नाराय[illegible] से प्रार्थी का नाम प्रार्थी का नाम निराना राम के स्थान पर न[illegible] वादी को विभिन्न सरकारी योजनओं का लाभ नहीं ले [illegible] अतः उ[illegible]म में संशोधन कर राजस्व रकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश [illegible] संम्वत् 2070–2073, खाता संख्या नया 62,खाता संख्या पुराना 56, के अनुसार खसरा न[illegible] 503/294, तादादी–2.6558 हैक्टेयर, एवं खसरा न. 536/51 तादादी 1.6441 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 544/68 तादादी 0.4552

Signature Not Verified
Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल तादादी 4.7551 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना में प्रार्थी का नाम नारायण राम पुत्र मुलाराम हिस्सा पूर्ण जाति–जाट निवासी गिनड़ी पट्टा लोहसना खातेदार राहिन पूर्ण खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चूरू मूर्तहीन, दर्ज है। आधार कार्ड प्रार्थी में प्रार्थी का नाम निराना राम पुत्र मूला राम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का सहजूसर व तहसीलदार चूरू में प्रार्थी के नाम उक्त खसराजात में प्रार्थी का नाम नारायण राम पुत्र मूला राम के स्थान पर निराना राम पुत्र मूलाराम किये जाने की अभिशंसा की गई है।

उपर्युक्त उपरोक्तानुसार पत्रावल एवं दस्तावेजों के अवलोकन इस तथ्य की पुष्टी होती है कि वादी का वास्तविक नाम निराना राम पुत्र मूला राम है। तथा घरेलू नाम नारायण राम होने से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम नारयणराम दर्ज हो गया है। उक्त त्रुटी सहवन से या घरेलू नाम होने से हुई प्रतीत होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में आती है जिसको सही व दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। तहसीलदार चूरू ने प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में नाराणराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर निराना राम पुत्र मूला राम दुरूस्त किये जाने कि अभिशंसा की है। इसलिए प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 503/294, तादादी–2.6558 हैक्टेयर, एवं खसरा न. 536/51 तादादी 1.6441 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 544/68 तादादी 0.4552 हैक्टेयर कुल खसरे 03 कुल तादादी 4.7551 हैक्टेयर रोही ग्राम गिनड़ी पट्टा लोहसना की जमाबंदी अंकित नारायणराम पुत्र मूलाराम के स्थान पर निराना राम पुत्र मूला राम किये जाने की घोषणा की जाती है। वादी के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने या सरकारी बकाया की स्थिति में पूर्व नाम ही मान्य होगा। नाम दुरूस्ती वादी द्वारा कोई प्रकरण छुपाया गया है तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी एव
सहायक कलक्टर, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Ugam Singh Rajpurohit
Date: 2023.06.20 09:54:12 IST
Reason: SelfAttested